UPFD040498912022

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

परिवाद संख्या–35789 सन 2022

निकेता उर्फ निक्की बनाम रोहन शेहतगी आदि

09.08.2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। उसके द्वारा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रही है। पत्रावली बयान अंतर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० के साक्ष्य हेतु नियत चल रही है, किन्तु परिवादिनी द्वारा धारा–200 दं०प्र०सं० के तहत पर्याप्त अवसर तथा अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०सं० एवं 202 दं०प्र०सं० के तहत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया किसी भी विपक्षी को विचारण हेतु आहूत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद धारा–203 दं०प्र०सं० के तहत **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

फिरोजाबाद।